फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना कादरीगेट

दिनांक :- 29.08.2024

थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 186/2024 धारा 304/317(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **श्री डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर **श्री प्रदीप सिंह** के कुशल नेतृत्व में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 186/24 धारा 304/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त पिन्टू पुत्र कुंवर सिंह उर्फ करिया निवासी महरूपुर रावी थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 222/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. पिन्टू पुत्र कुंवर सिंह उर्फ करिया निवासी महरूपुर रावी थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ।

घटना का विवरण:- दिनांक 05.07.2024 को पांचालघाट पुल के पास से वादी श्री दीपक मिश्रा की पत्नी के गले से 02 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा एक पीली धातु की चेन छीन ली गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कादरीगेट पर मु0अ0सं0 186/24 धारा 304/317(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में दिनांक 29.07.2024 को अभियुक्त पियूष उर्फ सौरभ पुत्र राजेन्द्र निवासी जगतापुर थाना इंदरगढ़ जनपद कन्नौज से पीली धातु की चेन बरामद कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा चुका है। मुकदमा उपरोक्त में वांछित सहअभियुक्त पिन्टू उपरोक्त को दिनांक 29.08.2024 को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 222/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान बताया कि साहब जो चेन आपने पिछले महीने पियूष उर्फ सौरभ पुत्र राजेन्द्र निवासी जगतापुर थाना इंदरगढ़ जनपद कन्नौज से बरामद की थी वह चेन मैंने अपने साथी पियूष उर्फ सौरभ के साथ मिलकर पांचाल घाट गंगा पुल के पास करीब 02 महीने पहले एक महिला के गले से छिनी थी। चोरी की हुई चेन को पियूष उर्फ सौरभ अपने साथ ले गया था तथा मुझे 20000 रूपये दे दिये थे। जो मैने खर्च कर दिये। साहब यह तमन्चा मैं अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास रखता हूँ, मुझसे गलती हो गयी शेष सफाई मैं अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूँगा।

बरामदगी का विवरण –

01. 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त पिन्टू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 186/24 धारा 304/317(2) बीएनएस थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ।
2. मु0अ0सं0 222/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री कल्पेश चौधरी
2. हे0कां0 सुरेन्द्र सिंह
3. हे0कां0 सन्तोष कुमार
4. कां0 अभिषेक चाहर
5. कां0 दीपक कुमार
6. कां0 सुमित देशवाल

मीडिया सेल फतेहगढ

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना जहानगंज

दिनांक :- 29.08.2024

थाना जहानगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 155/2024 धारा 137(2)/87 बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 155/24 धारा 137(2)/87 बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित नामजद/वांछित अभियुक्त राहुल सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी ग्राम काशीपुर थाना रुरा जनपद कानपुर देहात को दिनांक- 29.08.2024 को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. राहुल सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी ग्राम काशीपुर थाना रुरा जनपद कानपुर देहात।

घटना का विवरण:- दिनांक 21.08.2024 को वादी मुकदमा की 02 पुत्रियों को अभियुक्त राहुल सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी ग्राम काशीपुर थाना रुरा जनपद कानपुर देहात को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना जहानगंज पर मु0अ0सं0 155/24 धारा 137(2)/87 बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट बनाम राहुल सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी ग्राम काशीपुर थाना रुरा जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में दिनांक 29.08.2024 को वांछित अभियुक्त राहुल सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी ग्राम काशीपुर थाना रुरा जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने अपना पक्ष अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त राहुल का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 155/24 धारा 137(2)/87 बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना जहानगंज पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री भोलेन्द्र चतुर्वेदी
2. उ0नि0 श्री अच्छेलाल पाल
3. हे0का0 सुनील कुमार।
4. का0 दुर्गेश कुमार।